बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 150306 पटना/ दिनांक 30.5.13

ग्रा0वि0 11/आंकेक्षण वित्त 41/2011

प्रेषक

शैलेन्द्र कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त, -बिहार-

विषय :- **वित्त (आकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना, के पत्र सं0 220 दिं0 26.4.12, द्वारा वर्ष वित्तीय वर्ष 1989-90 से 1991-92 में वित्त-अंकेक्षण प्रतिवेदन में सनिन्हित गवन/दुर्विनियोग क्षति/वसूली योग्य राशि को शीध्र जमा करने एवं दोषियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक एतद संबंधी विभागीय पत्रों के क्रम में कहना है कि वित्त विभाग के पत्र सं0 220 दिं0 26.04.12 द्वारा वर्ष 1989 - 90 से 1991-92 तक वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना द्वारा किये गये अंकेक्षण में पायी गई संन्निहित गवन, दुर्विनियोग क्षति, वसूली योग्य राशि को शीध्र जमा करने और दोषियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने सम्बन्धी प्रतिवदेन अभी तक प्रतीक्षित है, फलत: वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा बार-बार स्मारित किये जा रहे है और एतद संबंधी आयोजित बैठको में विभाग की छवि धूमिल हो रहीं है सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए निदेश दिया गया है कि यथाशीध्र अनुपालन सुनिश्चित करायी जाय ।

अत: अनुरोध है कि अविलंब वित्त (अंकेक्षण) विभाग, द्वारा वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक के वित्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन में प्रखंडो से राशि जमा करते हुए दोषियों के विरूद्ध प्रथमिकी दर्ज कर वित्त (आंकेक्षण) विभाग, बिहार पटना, को प्रतिवदित करे और उसकी सूचना विभाग को अविलंब भेजना सुनिश्चित किया जाय ।

कृपया इसे सर्वोच्चय प्राथमिकता माना जाय ।

विश्वासभाजन

30/5/13

(शैलेन्द्र कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव